दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरूवार 27 फरवरी 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 150

जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश को जारी करने दी स्वीकृति

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश को जारी करने को स्वीकृति दे दी है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रभावी होने के बाद तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर, 2019 से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मान्यता दे दी गई है।

31 अक्टूबर, 2019 से पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा सभी केन्द्रीय कानून पूरे भारत में लागू होते हैं, परन्तु 31 अक्टूबर, 2019 से नियुक्त केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी यह लागू हो गये हैं। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में, प्रशासनिक प्रभावशीलता और सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बदलावों और संशोधनों के साथ समरूपी सूची के अंतर्गत तैयार किये गये केन्द्रीय कानूनों को अपनाने के लिए यह आवश्यक है, ताकि भारतीय संविधान के अनुरूप इन्हें लागू करने में किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जा सकें।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास कानूनों को आवश्यकतानुसार ढालने और उनमें संशोधन करने का अधिकार है, इन्हें उत्तराधिकारी केन्द्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निर्धारित तिथि से एक वर्ष की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कानून को अपनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से या तो आवश्यक या व्यावहारिक अथवा निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।

इसी के अनुरूप, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज हुई अपनी बैठक में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए ऐसे 37 केन्द्रीय कानूनों को अपनाने और उनमें सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा जारी एक आदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन सुधारों के साथ उपर्युक्त केन्द्रीय कानूनों को अपनाने से केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुरूप इन कानूनों को लागू करने में किसी तरह की अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।

बाराती बस नदी में गिरने से 24 की मौत

बूंदी(आरएनएस)। राजस्थान में बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र में आज एक बस के नदी में गिरने से कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गये। नदी में गिरी बस बारातियों से भरी थी। कोटा के एक परिवार के कुछ लोग शादी समारोह में भात लेकर जा रहे थे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र से करीब 30 लोग बस से सवाई माधोपुर जा रहे थे कि सुबह करीब पौने दस बजे कोटा-लालसोट मेगाहाइवे पर लाखेरी कस्बे के पास पापड़ी फाटक के पास मेज नदी पार करते समय अचानक बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इससे कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गये। सूत्रों ने बताया कि अचानक टायर फटने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई। उधर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से दो दो लाख रुपये देने की घोषणा की है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर हादसे के प्रति दुख जताया है और लिखा, 'बूंदी के लाखेरी क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की मौत और जख्मी होने की खबर ह्दय विदारक है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'

महत्वपूर्ण एवं खास

'निशंक' ने की उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम की शुरुआत

नईदिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 'प्रबंधकों के लिए उच्च शिक्षा लीडरशिप विकास कार्यक्रम' की शुरुआत की। यह ब्रिटेन, भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल (यूकेआईईआरआई) के तत्वाधान में यूजीसी और ब्रिटिश कार्उसिल की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों तक लीडरशिप विकास कार्यक्रम पहुंचाना है। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान मंत्रालय में सचिव अमित खरे; यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. सिंह, ब्रिटिश कार्उसिल ऑफ इंडिया की ओबीई-निदेशक सुबारबरा विकहैम और मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथ ब्रिटिश कार्उसिल के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इस अवसर पर पोखरियाल ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों के मध्यम और उच्च स्तर के अधिकारियों की लीडरशिप क्षमता बढ़ाने के महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता की तर्ज पर संस्थागत विकास की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से वैश्विक नजरिया विकसित करने में मदद मिलेगी और इससे समावेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों के लिए ज्ञान को बढ़ावा देगा, जो ब्रिटेन और भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करती है।

आगामी आदेश तक उत्तर-पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में हिंसा के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में धारा 144 के तहत अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लगा रहेगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने पुष्टि की कि मंगलवार को जो निषेधात्मक आदेश लगाए गए थे, उन्हें अब तक नहीं हटाया गया है और यथास्थिति बनी हुई है। हालांकि, पुलिस अधिकारी ने देखते ही गोली मारने के आदेश के बारे में कुछ भी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के किसी भी अधिकारी ने अभी तक उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश नहीं दिए हैं। चांद बाग, भजनपुरा, मौजपुर-बाबरपुर, और जाफराबाद सहित कई इलाकों में सोमवार और मंगलवार को जबरदस्त हिंसा देखी गई, क्योंकि सीएए समर्थक और विरोधी प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए, जिसमें 18 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है।

दिल्ली हिंसा की मायावती ने की निंदा

नईदिल्ली (आरएनएस)। मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के कुछ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों की हिंसा, उपद्रव और आगजनी की घटनाओं में भारी जान-माल की क्षति अति-दुखद और अति-निंदनीय है। केंद्र और दिल्ली सरकार को इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। बीएसपी की मांग है कि हिंसा की उच्चस्तरीय जांच कराकर सभी लापरवाह और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

दिल्ली हिंसा पर मंत्रिमंडल को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे शाह

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल को दिल्ली हिंसा की स्थिति से अवगत कराएंगे। हिंसा में अबतक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अमित शाह केंद्रीय मंत्रिमंडल को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई हिंसा के बाद इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। इस हिंसा में अबतक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पी. शंकरन का निधन

(केरल) (आरएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मंत्री पी. शंकरन का मंगलवार रात निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और यहां एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

शंकरन को सबसे ज्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. करुणाकरन का करीबी माना जाता था, जिन्होंने उन्हें 1998 में लोकसभा चुनावों में कोझिकोड सीट पर उम्मीदवार बनाया था। शंकरन ने सांसद वीरेंद्र कुमार को हराकर यह चुनाव जीता था। हालांकि 1999 में हुए लोकसभा चुनावों में शंकरन के स्थान पर करुणाकरण के बेटे के. मुरलीधरन को चुनाव लड़ाया गया और इसके बदले उन्हें 2001 में प्रदेश की ए.के. एंटनी सरकार में मंत्री बनाया गया। करुणाकरन ने जब 2005 में कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया तो शंकरन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और करुणाकरन के पार्टी में वापसी करने पर शंकरन भी दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए।

प्रधानमंत्री ने शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के विभिन्न भागों में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली के विभिन्न भागों में उत्पन्न स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। पुलिस और अन्य एजेंसियां शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता से कार्य कर रही हैं। शांति और सौहार्द हमारे चरित्र के केन्द्र में हैं। मैं दिल्ली की अपनी बहनों और भाईयों से अपील करता हूं कि वे शांति और भाईचारा बनाए रखें। यह जरूरी है कि शांति और सामान्य स्थिति जल्द-से-जल्द बहाल हो।

सलमान बने रियलमी के नए ब्रांड एंबेसडर

नईदिल्ली (आरएनएस)। चीन की स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने बुधवार को अपने नए ब्रांड एंबेसडर के रूप में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को चुना है। सलमान ब्रांड के आगामी डिवाइस रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो को एन्डोर्स करेंगे।

रियलमी इंडिया के उपाध्यक्ष और सीईओ माधव सेठ ने एक बयान में कहा, हमने सलमान को इसलिए चुना, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। यह हमारे लिए बेहद अहमियत रखती है क्योंकि हमारे ब्रांड के अनूठे विक्रय प्रस्ताव अत्याधुनिक तकनीक, मजेदार, स्टाइलिश और गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ आती है, जो विभिन्न कीमतों के साथ सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। हमारे ब्रांड में सलमान खान के शामिल होने से हम अपने लक्षित ग्राहकों तक बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंच पाएंगे।

यहां यह बता दें कि यह पहली बार है जब सलमान किसी स्मार्टफोन ब्रांड के साथ जुड़े हैं। इस पार्टनरशिप पर सलमान ने कहा, मैं दुनिया के सबसे तेजी से उभरते स्मार्टफोन ब्रांड का चेहरा बनकर खुश हूं। रियलमी 6 सीरीज स्टाइलिश है और मैं निश्चित हूं कि उपभोक्ताओं को यह पसंद आएगी।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को मिली स्वीकृति

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1480 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश को तकनीकी टेक्सटाइल्स क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस मिशन की चार वर्षीय कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक होगी। तकनीकी टेक्सटाइल्स का भविष्य उज्ज्वल है और इन्हें टेक्सटाइल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सड़क, रेलवे ट्रेक, खेल परिधान, स्वास्थ्य से बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के साथ-साथ अनेक अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।

अमानवीय व्यवहार के दो पीड़ितों को मुआवजा देने और मामले में तत्काल कार्रवाई का निर्देश

» एनसीएससी की पहल

नईदिल्ली (आरएनएस)। राजस्थान के नागौर में अनुसूचित जाति के दो लोगों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अत्याचार और अमानवीय व्यवहार का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के संज्ञान में लाया गया है।

मामले को राजस्थान सरकार के सामने पहले ही उठाया गया है और इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इस मामले पर एनसीएससी के सचिव ने 20 फरवरी, 2020 को नागौर के डीएम से फोन पर बात की है। एनसीएससी के अध्यक्ष को 20 फरवरी, 2020 को पुलिस और डीएम द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीओए अधिनियम की धारा 342, 323, 341, 143 आईपीसी, 3 (1) (डी), 3 (1) (एस) और 3 (2) (वीए) के तहत एफआईआर नंबर 011/19.02.2020 दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएम ने पुष्टि की है कि 20.02.2020 को नियमानुसार अनुमोदन संख्या डीओएसजेई/9986/एटीआरओसी/2019/106286 के तहत दोनों में से प्रत्येक पीड़ित को 50,000/- रुपये का भुगतान किया गया है। एनसीएससी के उपाध्यक्ष ने राज्य अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने और पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है।

इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को डीपीई दिशानिर्देशों में छूट - मिली मंजूरी

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) के लिए आरक्षण एवं सतर्कता नीतियों को छोड़कर डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

आईपीजीएल की स्थापना ईरान में चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के विकास एवं प्रबंधन के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट (डीपीटी) [पूर्व में कांडला पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी)] के संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक विशेष उद्देशीय कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। व्यापक संयुक्त कार्य योजना (जेसीपीओए) से संयुक्त राज्य अमेरिका हटने के बाद विदेश मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2018 को जहाजरानी मंत्रालय को सलाह दी थी कि जेएनपीटी और डीपीटी को अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव से बाहर किया जाए। इसके आधार पर और अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के साथ जेएनपीटी एवं डीपीटी के सभी शेयरों की खरीदारी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) द्वारा 17 दिसंबर, 2018 को की गई थी। एसडीसीएल एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) है और इसलिए एसडीसीएल की सहायक कंपनी के तौर पर आईपीजीएल भी सीपीएसई बन गई है। परिणामस्वरूप, डीपीई के दिशानिर्देश तकनीकी तौर पर आईपीजीएल पर लागू होते हैं। चूंकि चाबहार पोर्ट सामरिक उद्देश्यों के साथ देश की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना है। इसलिए आईपीजीएल को बोर्ड द्वारा प्रबंधित कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने की तत्काल आवश्यकता है।

शिक्षा को सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में निहित किया जाना चाहिए:नायडू

» पांडिचेरी विश्वविद्यालय का 28वां दीक्षांत समारोह

पुडुच्चेरी (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आज सभी विश्वविद्यालयों से कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की तरह विश्वविद्यालय की सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने और छात्रों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सेवा करने के लिए प्रोत्साहन देने का आह्वान किया ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बनें। उन्होंने कहा कि खुद को राष्ट्र-निर्माण में सकारात्मक, सार्थक और रचनात्मक तरीके से शामिल करें।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने छात्रों से अपने ज्ञान में वृद्धि करने और अपने करियर में उन्नति के लिए अपने बहुमूल्य समय का उचित उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और अन्य बड़े कार्यक्रमों में भाग लें और इन्हें जन आन्दोलन में परिवर्तित करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को लोगों के सामाजिक जीवन के साथ आत्मीयता से जुड़ना चाहिए और लोक-प्रसिद्ध एकांत ही नहीं बने रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षाविदों को न केवल सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में निहित होना चाहिए बल्कि दुनिया भर में ज्ञान की खुशबू भी फैलानी चाहिए। उन्होंने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक समग्र शिक्षा मानव को परिष्कृत करती है और न केवल बुद्धि और कौशल का विस्तार करती है, बल्कि सहानुभूति, करुणा, सम्मान, सहिष्णुता और सकारात्मक सोच जैसे आवश्यक मानवीय गुणों का समावेश भी करती है।

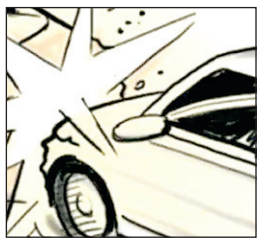

बस-बोलेरो की टक्कर से 5 की मौत

रामपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां बोलेरो और बरात की बस में आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, हादसा रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र के ढकिया मार्ग पर हुआ है। बता दें कि राणा शुगर मिल के कर्मचारी गन्ना की अवैध आवाजाही रोकने के लिए ढकिया मार्ग पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बोलेरो की टक्कर बरात की बस से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पांच कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मिल के प्रबंधन अस्पताल पहुंचे। वहीं, सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।